(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 20/2020-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2020, (2020 का 12) की धारा 141 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के मालों को जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय , शीर्ष , उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आते हैं , जो उक्त तालिका के कॉलम (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है को उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम सूची के अंतर्गत उनपर लगाए जाने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क और उक्त वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 141 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण स्वास्थ्य उपकर से छूट देती है:

तालिका

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	9018 या 9019	कृत्रिम श्वसन या अन्य चिकित्सीय श्वसन तंत्र (वेंटिलेटर)
2.	63 या कोई अध्याय	फेस मास्क और सर्जिकल मास्क
3.	62 या कोई अध्याय	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
4.	30, 38 या किसी भी अध्याय	कोविद -19 परीक्षण किट
5.	कोई अध्याय	उपरोक्त क्रम सं. 1 से 4 के मालों के निर्माण के लिए इनपुट, यदि आयातकर्ता सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है।

2. यह अधिसूचना 30 सितंबर, 2020 तक लागू रहेगी।

[फा सं.354/41/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)

उप सचिव भारत सरकार